(12)

प्रदीप सिंह रावत
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2008

विषयः– वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य योजना के अन्तर्गत 11 कार्यों के निर्माण की प्रशाकीय वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग, पौडी के पत्र सं0 1318/36(490)याता-पर्व./07 दिनांक 13.3.2008, सं0-1365/36 (494)याता पर्व./07 दिनांक 13.3.08, सं0–853/24 (559) याता -पर्व./07 दिनांक 18.2.2008 सं0– 1364/36 (511) याता. पर्व./07 दिनांक 13.3.2008 1366/36 (479) याता.-पर्व /07 दिनांक 13.3.2008 1315/599 सी–9/08 दिनांक 21.2.2008, 1197/9(2) याता हरि.-पर्व/07 दि0 7.3.08 एवं सं0 760/24 टी-याता पं./07 दिनांक 13.3.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपलब्ध कराये गये 11 कार्यों के आगणन लागत रू0 1613.62 लाख की लागत के आगणनों पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रूपये 1595.94 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ पिचानवें लाख चौरानवें हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रत्येक कार्य के लिये उनके सम्मुख कालम 06 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 0.55 लाख (रूपये पचपन हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय करने की श्री श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति जिन कार्यों में आवश्यक हो, प्राप्त करके ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6. एकमुश्त प्राविधान का कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग की प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य कर लिया जाय। तत्पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

11. निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का व्यय किया जायेगा, और यदि कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
13. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
14. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य हेतु आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणना पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2008 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जायेगा।
15. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।
16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
17. इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
18. यह आदेश वित्त अनुभाग 2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-375 /XXVII(2)/2008 दिनांक 24 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक:-11 कार्यों की सूची।

भवदीय,
[हस्ताक्षर]
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- 828 (1)/III-2/08,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून/चमोली/रुद्रप्रयाग/पौड़ी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. अधीक्षण अभियन्ता, 7/9/12 वां वृत्त,लो०नि०वि०,चमोली/देहरादून/पौड़ी।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग 2/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

फैक्स द्वारा

आज्ञा से,
[हस्ताक्षर]
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

[illegible handwritten endorsement]

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
12वां वृत्त लो०नि०वि०
पौड़ी गढ़वाल

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ... खं० लो०नि०वि०
[illegible]

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी.ए.सी. वित्त द्वारा आंकलित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3			6
1	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पलकोट –भरसार (बुरस्वार) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य	4.00	140.00	140.00	0.05
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सिराल्डी असनखल–मनताला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	210.00	210.00	0.05
3	जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत डाबर से पटखे–ढ़ोंग–डाबर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	70.00	70.00	0.05
4	धुमाकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टकोलीखाल भतीगाल मोटर मार्ग का विस्तार (3 किमी0) मिसिंग लिंक का कार्य।	3.00	105.00	105.00	0.05
5	जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र रूड़की के आबादी भागों में सी.सी. मार्गों का निर्माण कार्य	–	17.83	16.08	0.05
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र मंगलौर में सी.सी. मार्गों, कल्वर्ट,पी0सी0 एवं खड़न्जा निर्माण कार्य।	–	378.60	368.71	0.05
7	धुमाकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत टकोलीखाल–धौराखाल मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 16 से 19 (4 किमी0) मिसिंग लिंक मार्ग का कार्य।	4.00	140.00	140.00	0.05
8	धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत द्वारी से भौन मोटर मार्ग का विस्तार किमी0 28 से 32 (5कि.मी0) 5 मी0 स्पान मोटर सेतु सहित (मिसिंग लिंक कार्य)	5.00+36 मी0	250.24	250.24	0.05
9	रूड़की के अन्तर्गत ग्राम रहीमपुर के शिवपुरम कालोनी में शिव मंदिर से गोपाल सिंह रावत के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	0.350	16.03	13.84	0.05
10	जनपद देहरादून के अन्तर्गत गुरूकुल से जसपुर गांव तक पुन: निर्माण एवं सुधार कार्य।	1.00	57.69	53.84	0.05
11.	जनपद रूद्रप्रयाग में रतनपुर–स्यूंली–दरमोला लिंक मोटर मार्ग किमी0 3 से 9 तक पी0एम0एस0जी0वाई0 द्वारा मार्ग का सुधार कार्य	5.200	228.23	228.23	0.05
	योग:–		1613.62	1595.94	0.55

(पचपन हजार मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

द्वारा प्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
खण्ड लो. नि. वि.
लैन्सडौन (गढ़वाल)

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. ख. लो. नि. वि.
लैन्सडौन (गढ़वाल)